न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना

पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :—139/2023

प्रार्थीः—

मनोज कुमार पुत्र तेजाराम जाति बोराणा निवासी सिवाना तहसील सिवाना जिला बालोतरा हाल जोधपुर

बनाम

विप्रार्थीः—

राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा

<u>प्रार्थना पत्र बाबत रेकर्ड शुद्धि अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थित :—

श्री ललित जांगीड अधिवक्ता प्रार्थी

—:: आदेश ::—

दिनांक :— 30.09.2024

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 1462/1111,1465/1086 व 1470/1176 रकबा क्रमशः 0.6830 ,0.7462 व 0.7209 हैक्टयर भूमि ग्राम सिवाना तहसील सिवाना में अवस्थित है जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। प्रार्थी के अन्य समस्त दस्तावेजात यथा आधार कार्ड,मतदाता पहचान पत्र, पैनकार्ड आदि में उसका वास्तविक नाम"मनोज कुमार बोराणा "दर्ज है किन्तु प्रार्थी के पिता के मृत्यु होने के बाद फौतेदगी म्यूटेशन भरते समय राजस्व कर्मचारियों द्वारा विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड में त्रुटिवश प्रार्थी का नाम "मनोज कुमार बोराणा" के स्थान पर "मोहनलाल पुत्र तेजाराम " लिख दिया। इस प्रकार अशुद्ध नाम अंकित होने से प्रार्थी अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थी की तलबी की गई। तहसीलदार सिवाना के पत्र क्रमांक भू.अ./2024/1370 दिनांक 22.08.2024 द्वारा प्रार्थी के वास्तविक नाम के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की। प्रार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य में जन आधार कार्ड,परिवार राशनकार्ड,आधार कार्ड,मतदाता परिचय पत्र,रा.रा.प.प.नि. द्वारा जारी कार्ड आदि प्रस्तुत किये गये तथा प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्यारीदेवी पुत्री तेजाराम पत्नी हडमानजी के [illegible] कलमबद करवाये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.11.17 16:42:32 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम मनोज कुमार बोरणा [illegible] किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा विवादित भूमि में त्रुटिवश प्रार्थी का नाम "मनोज कुमार बोराणा " के स्थान पर "मोहनलाल पुत्र तेजाराम " लिख दिया जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

जस्व रिकॉर्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थी अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

हमने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी के जन आधार कार्ड,परिवार राशनकार्ड,आधार कार्ड,मतदाता परिचय पत्र,रा.रा.प.प.नि. द्वारा जारी कार्ड आदि दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम मनोज कुमार बोराणा दर्ज है,किन्तु विवादित भूमि में प्रार्थी का नाम मोहनलाल पुत्र तेजाराम दर्ज होने से राजस्व रिकॉर्ड में अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट से भी प्रार्थी का वास्तविक नाम मनोज कुमार बोराणा होने की पुष्टि होती है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम सिवाना के खसरा संख्या 1462/1111,1465/1086 व खसरा संख्या 1470/1176 रकबा क्रमशः 0.6830, 0.7462 व 0.7209 हैक्टयर भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम ''मोहनलाल पुत्र तेजाराम '' के स्थान पर ''मनोज कुमार बोराणा पुत्र तेजाराम'' दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिवाना को तद्नुसार दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 30.09.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.11.17 15:42:32 IST
Reason: SelfAttested